भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. *134**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

तम्बाकू उत्पादों पर उच्च कराधान

***134. श्री दिनेश चंद्र यादव:**

श्री गिरिधारी यादवः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व के प्रमुख तम्बाकू उत्पादक देशों में से एक है और तम्बाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है;

(ख) क्या तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर उच्च कराधान से तम्बाकू किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसके अवैध व्यापार के संबंध में आशंकाएं व्यक्त की गई हैं तथा इसके परिणामस्वरूप कर अपवंचन होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार किसानों के हितों की रक्षा करने, अवैध व्यापार को रोकने तथा कर अपवंचन को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में "तंबाकू उत्पादों पर उच्च कराधान" के संबंध दिनांक 28.07.2026 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *134 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ङ) चीन के बाद भारत दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पिछले दस वर्षों में, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का निर्यात 240.93 मिलियन किलोग्राम जिसका मूल्य 6,450.66 करोड़ रुपये (958.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से बढ़कर 368.85 मिलियन

किलोग्राम जिसका मूल्य 17,192.04 करोड़ रुपये (1,948.98 मिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया है। इससे मात्रा में लगभग 53.10% और मूल्य में लगभग 166.51% की वृद्धि हुई है।

सरकार ने फ्लू-क्योरड वर्जीनिया (एफसीवी) तंबाकू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान (एनआईआरसीए) द्वारा विकसित गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति के माध्यम से उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हेतु बेहतर कृषि पद्धतियों (जीएपी) को बढ़ावा देना शामिल है। साथ ही, बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन सुनिश्चित करने और मूल्य स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों के परामर्श से प्रतिवर्ष फसल का अधिकृत आकार तय करना भी शामिल है। पारदर्शी मूल्य निर्धारण और उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी मंच को भी मजबूत बनाया गया है। पिछले दस वर्षों में, एफसीवी तंबाकू किसानों को प्राप्त औसत मूल्य 134.43 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 251.14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है,जो 86.82% की वृद्धि दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त,एक तंबाकू बोर्ड उत्पादक कल्याण योजना कार्यान्वित की गई है,जिसके अंतर्गत वर्ष 2025-26 के दौरान प्राकृतिक और आकस्मिक मृत्यु, चिकित्सा उपचार, शिक्षा, विवाह और प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए तंबाकू के गोदामों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से 1,300 से अधिक उत्पादकों को लाभ पहुँचाया गया है।

तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर उच्च कराधान लगाने और तंबाकू किसानों की आय पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के बीच सीधे संबंध के बारे में, इस विभाग के पास ऐसा कोई आकलन उपलब्ध नहीं है।

विशेष रूप से तंबाकू और पान मसाला क्षेत्र में अवैध व्यापार और कर चोरी, को रोकने के लिए, सरकार ने 1 फरवरी, 2026 से कुछ विनिर्दिष्ट तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत क्षमता-आधारित लेवी शुरू किया है। वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली, 2017 में 1 फरवरी, 2026 से नियम 31घ जोड़ा गया है, जो आपूर्ति के पहले चरण में कर संग्रह सुनिश्चित करने के लिए खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर मूल्यांकन का प्रावधान करता है। बेहतर निगरानी के लिए एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान पर तंबाकू उत्पादों की जीरो-रेटेड आपूर्ति और कर वापसी की सुविधा को वापस ले लिया गया है। पान मसाला,तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों के निर्माताओं को मासिक आधार पर उत्पादन क्षमता,मशीनरी और वास्तविक उत्पादन की घोषणा करना भी आवश्यक है। इसके अलावा,कर चोरी की संभावना वाली वस्तुओं के लिए एक ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को सक्षम करने के लिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम,2017 में धारा 148क को शामिल किया गया है, साथ ही, नियमों का पालन न करने पर धारा 122ख के तहत जुर्माने का प्रावधान किया गया है जिससे कर चोरी के विरूद्ध प्रवर्तन और मजबूत होगा।
